राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प. 1(35) वन/2017 जयपुर, दिनांकः 29.05.2017

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 0.525 ha. of forest land (0.31 hectares in Rajsamand district and 0.215 hectares in Bhilwara district) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division ASIND (Rajasthan) for Laying of drinking water pipeline from Lalpura to Bhadsi under CBWSP phase II package I.

संदर्भ :– प्रस्ताव संख्या (FP/RJ/WATER/16150/2016)

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना, प्रभाग ASIND, राजस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में चम्बल भीलवाडा वाटर सप्लाई परियोजना के अन्तर्गत लालपुरा से भाडसी पेयजल लाईन बिछाने हेतु 0.525 है0 वन भूमि (0.31 हैक्टेयर राजसमन्द जिले में तथा 0.215 हैक्टेयर भीलवाड़ा जिले में) प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ.न. 11–9/98–एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना में Diversion of 0.525 ha. of forest land (0.31 hectares in Rajsamand district and 0.215 hectares in Bhilwara district) in favour of Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Project Division ASIND (Rajasthan) for Laying of drinking water pipeline from Lalpura to Bhadsi under CBWSP phase II package I की बिना वृक्षों के पातन की सैद्वान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत किसी पेड़ का पातन नहीं किया जावेगा।
4. वन क्षेत्र में परियोजना स्थल पर रात्रि केम्पिंग नहीं की जायेगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरासिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस–पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगा।
8. प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीवन (Flora/Fauna) की क्षति न होने की यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुये राशि जमा की जायेगी।